सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री गौतम मुखर्जी, महाप्रबंधक, छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर

दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 07/2016 दिनांक 11.04.2016

श्रीमती कृष्णा पटेल
W/O श्री आर. डी. पटेल
क्वाटर नबंर–के. एफ.–02
सिंचाई कालोनी,
दक्षिण चकधर नगर,
रायगढ़ (छ0ग0)

अपीलार्थी

O/o CE (EITC)
Receipt No. 1113
Date 03 JUN 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE
Section

विरूद्ध

श्री एस. आर. बांधेय
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,
डंगनिया–रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 24.05.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत दिनांक 08.04.2016 को प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 07/2016 दिनांक 11.04.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से recruitment notice no.01-04/HR-8/3429 dtd. 03-11-2014 for the recruitment to the post of junior Engineer (T&D/Civil)-Trainee with post code 21 verified photocopies of the answer sheets of the selected candidates की प्रति मांगी गई थी। जिसे जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नही करायी गई है, जिससे अपीलार्थी असंतुष्ट है। अतः फलस्वरूप आपके समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया मेरे प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर वांछित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए, सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ/07/2016/28–29 दिनांक 23.04.2016 के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक** 28.04.2016 को सांय 4:00 बजे व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्रमांक जी–9 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल

.वगढ़ को उनके द्वारा दी गई पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया था।

उक्ताशय के संदर्भ में लेख है कि श्री पंकज सिह परमार सहायक प्रबंधक (मा.सं.) छ.रा.वि.हो.कं. मर्या. रायपुर के द्वारा दिनांक 25.04.2016 को लगभग 11:00 बजे के आसपास अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल के द्वारा दी गई दूरभाष नबंर 8349430940 में संपर्क करने पर अपीलार्थी के पति श्री आर. डी. पटेल से वार्तालाप हुई, अतएव उन्हे नियत तिथि के संदर्भ में सूचना दी गई। उक्त नियत श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर उपस्थित एवं अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री रजत अग्रवाल उपस्थित रहे।

उपरोक्त सुनवाई के दौरान श्री रजत अग्रवाल के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल आवश्यक कार्यवश नियत तिथि आज दिनांक 28.04.2016 को कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतएव अपीलार्थी श्रीमति पटेल को उक्त प्रकरण में तर्क/पक्ष रखने हेतु उन्हें पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी। उपरोक्त के वशीभुत अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल को उक्त प्रकरण में अपना तर्क/पक्ष रखने बाबत् न्यायोचित अवसर (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 24.05.2016 को सांय 4:00 बजे कक्ष क्रमांक जी 9 में नियत की गई जिसकी सूचना अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 32–33 दिनांक 18.05.2016 के माध्यम से दी गई, एवं श्री पंकज सिह परमार सहायक प्रबंधक (मा.सं.) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर के द्वारा दिनांक 19.05.2016 को समय लगभग 04:45 बजे दोपहर को दूरभाष के माध्यम से अपीलार्थी के पति श्री आर.डी. पटेल से चर्चा की गई, तदुपरांत उन्हें नियत तिथि के बारे में सूचित किया गया। उक्त नियत तिथि में अपीलार्थी के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर.डी.पटेल एवं प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी उपस्थित हुए। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण पर सुनवाई की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 24.05.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0 रा0 वि0 हो0 कं0 मर्या0 रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि "आवेदिका श्रीमती कृष्णा पटेल के द्वारा भर्ती नोटिस संख्या 01–04/एच.आर.–8/3429 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा जूनियर इंजीनियर (पारे./वित./सिविल) (प्रशिक्षु) के पदों पर की गई भर्ती में चयनित उम्मीद्वारों की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है। उक्त जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –आठ छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 298 दिनांक 01.02.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग के द्वारा कार्यालयीन यू. ओ. नोट क्रमांक 102 दिनांक 05.02.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नही है। उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत अपीलार्थी श्रीमती पटेल को कार्यालयीन पत्र क. 531 दिनांक 19.02.2016 के द्वारा करायी गई।

(अ) उल्लेखनीय है कि आवेदिका श्रीमती पटेल के द्वारा जूनियर इंजीनियर (पारे./वित.,सिविल) (प्रशिक्षु) के पदों पर की गई भर्ती में चयनित समस्त उम्मीद्वारों की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है, जो अधिनियम के नियमों के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी नही है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत तीसरी पार्टी की सूचना का प्रकटन के संबंध में जनसूचना अधिकारी से

अपेक्षित है कि वह तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करेगा। ऐसें मामलों में यदि प्रकटन से तीसरी पार्टी को सम्भावित हानि की अपेक्षा वृहत्तर लोकहित समाहित हो तो जानकारी को प्रकटन किया जाना न्यायोचित है। परन्तु यदि जानकारी के प्रकटन से तीसरी पार्टी को सम्भवतः नुकसान पहुचॅता है तो जानकारी प्रकटन नही किया जाना है। अतः प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज जिसका प्रकटन वृहत लोकहित में नही है, अतएव वांछित दस्तावेज को प्रकट किया जाना उचित परिलक्षित नही होता है। क्योकि वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी है, जिसका प्रकटन तर्क संगत नही है। <u>उक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नही है, जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से न हो या जिसमें लोकहित सन्निहित न हो।</u>

(ब) इसी अनुकम में लेख है कि सूचना का अधिकार विधि (सूचना का अधिकार अधिनियम का अद्यतन, विश्लेषणात्मक एवं बिन्दुवार विवेचन) प्रथम संस्करण पुनर्मुद्रित वर्ष 2015, श्री आर. पी. कटारिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक कें पृष्ठ क्रमांक 277 के पैरा क्रमांक 25 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि <u>उत्तर पत्रक प्रकट नही किया जायेगा, क्योकि उत्तर पत्रक तक पहुंच उम्मीदवारों को प्रदान नही की जा सकती, जो वैश्वासिक सम्बन्ध से संबंधित है और वैश्वासिक सम्बन्ध है, जो परीक्षक और परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी के बीच विद्यमान है और वैश्वासिक सम्बंध में व्यक्तियों से सम्बधित सूचना प्रकट नही की जा सकती। परिषद परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रति अधिनियम के अधीन प्रदान नही की जा सकती।</u>

(स) अग्रिम लेख है कि केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के अपील प्रकरण <u>Shri Ashok Kumar Arora vs. IIT, Roorkee (Appeal No.CIC/80/A/2009/00124, Date 29.05.2009)</u> the applicant is the father of an unsuccessful candidate who took the IIT examination in the year 2008. He Wishes to have access to the evaluated answer sheets in order to satisfy himself with the quality of the evaluation process. Respondents declined to disclose the information citing Section 8(1)(g). They pointed out that the IIT entrance examination was a mass examination and disclosing evaluated answer sheets will virtually crash the system.

Commission's full bench decision in Rakesh Kumar Singh and others vs. Lok Sabha Secretariat. Delhi. Jal Board. etc. (Appeal No. CIC /WB /A/ 2006 /00469, and 00394, etc. date of decision 23.04.2007) was discussed in detail.

<u>Judgement:-</u> The full bench decision of the Commission dated 23-04-2007 made a distinction between mass examination and examination like Department tests conducted by public authority with a limited scope and range and it was emphasized that while in the latter case, answer scripts can be disclosed, but in the mass examination disclosing answer scripts virtually destroy the system. The logic of the decision was derived from provisions in section 124 of the Indian Evidence Act, Section 2(n) and section 11(1) of the RTI Act, 2005 - all read together.

Disclosure of the evaluated answer sheets of the IIT examination was denied by the Commission on the grounds that the public Authority had announced prior to the

conduct of the public examination that the evaluated answer scripts would not be disclosed no matter what the purpose. Accordingly all the stakeholders were aware of the provision before appearing in the examination. The public authority the holder of the confidential information was a third party within the meaning of section 2(n) of the RTI Act. Accordingly the plea of the public authority under section 11(1) of the RTI Act is legitimate that such information should be disclosed only when public interest out ways the protected interest. Section 124 of the Indian Evidence Act also outhorizes the public outhority to withhold any information confidential or secret in public interest.

Commission agreed that there was public interest in non-disclosing of the information, as such disclosures can bring in the entire system of examination under extreme pressure. The commission also brought out that information may be blocked from disclosure in case the public authority makes out a persuasive case for non-disclosure under section 11(1) of the RTI Act over and above the exemptions available in section 8(1).

अतएव पैरा क्रमांक 4 के कंडिका (अ),(ब),(स) में निहित तथ्यो के अंतर्गत आवेदिका श्रीमती कृष्णा पटेल को वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना लोकहित में नही है।

(5) निर्धारित प्रथम अपील सुनवाई तिथि 24.05.2016 को अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर. डी. पटेल एंव प्रतिअपीलार्थी श्री एस. आर. बांधेय, जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर तथा श्री पंकज सिंह परमार सहायक प्रबंधक (मा0सं0) होल्डिंग उपस्थित हुए, तदपश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई। उक्त सुनवाई में दोनो के तर्क/पक्ष श्रवण किये गये।

प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, बशर्ते वह अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा पटेल के द्वारा भर्ती नोटिस संख्या 01–04/एच.आर.–8/3429 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा जूनियर इंजीनियर (पारे./वित./सिविल) (प्रशिक्षु) के पदों पर की गई भर्ती में चयनित उम्मीद्वारों की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है, जो व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी है। जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)–(ज) एवं 11 (1) के तहत प्रकट किया जाना उचित प्रतीत नही होता है, क्योकि उक्त जानकारी लोकहित में समाहित नही है। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नही है, जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से न हो या जिसमें लोकहित सन्निहित न हो।"

उल्लेखनीय है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही कर अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना परिलक्षित होता है, जो सही व उचित प्रतीत होता है। इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना

अधिकारी के द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की गई है जो स्वीकार है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियम का हवाला देकर जानबुझ कर उपलब्ध नही करायी गई है, जो निराधार एवं तथ्यहीन है।

जहाँ तक अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रश्न है उल्लेखित पैरा क्रमांक–04 के कंडिका क्रमांक (अ),(ब),(स) में निहित तथ्यो के अंतर्गत अपीलार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। अतः पैरा कमांक 04 के कंडिका कमांक (स) में उल्लेखित केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली, के अपील प्रकरण **Shri Ashok Kumar Arora vs. IIT, Roorkee (Appeal No.CIC/80/A/2009/00124, Date 29.05.2009) में आयोग के पूर्ण खंडपीठ के द्वारा Shri Rakesh Kumar Singh and others vs. Lok Sabha Secretariat. Delhi. Jal Board. etc. (CIC /WB /A/ 2006 /00469, and 00394, etc.** के प्रकरण में पारित निर्णय आदेश दिनांक 23.04.2007 के दृष्टिगत अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार करते हुए अपील प्रकरण क्रमांक 07/2016 दिनांक 11.04.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –07/2016/ 36 रायपुर, दिनांक 24/05/2016

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमती कृष्णा पटेल W/O श्री आर. डी. पटेल क्वाटर नबंर–के. एफ.–02 सिंचाई कालोनी, दक्षिण चक्रधर नगर, रायगढ़ (छ0ग0)
2. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC) छ. रा. वि. वि. कं. मर्या. रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइड में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपील कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य,
सूचना आयोग,
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,प्रथम तल,
शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235, 2444151

अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700